रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227596
CG-DL-E-14062021-227596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943
No. 240] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISHTHA 24, 1943

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021

सं.पीएफआरडीए/12/**आरजीएल/139/5.—**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की 52 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (फ) और (ब) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत,—

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 में: —

(I) विनियम 2 के उप-विनियम (1) (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"संपरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (2013 का 18) के अधीन किसी कंपनी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए अर्हित है;

(II) विनियम 2 के उप-विनियम (1) (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (2013 का 18) के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(III) विनियम 2 के तहत उप-विनियम (1) (झ) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

(झ) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की आस्तियों" से तात्पर्य है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर धारित अभिदाताओं की आस्तियां, न्यासी बैंक के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते में धारित अभिदाताओं की राशि और ऐसे न्यास के खाता बहियों में दर्ज ऐसी अन्य सभी चल और अचल दोनों प्रकार की आस्तियां;

आस्तियों में, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट नकद, प्रतिभूतियां और अन्य वित्तीय प्रपत्र शामिल होंगे और इसे अभिदाताओं की ओर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर धारित किया जाएगा ।

(IV) विनियम 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की स्थापना - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम से ज्ञात एक न्यास की स्थापना की जाएगी और न्यास की लिखत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत एक न्यास विलेख के रूप में होगी, जो ऐसी लिखत में नामित न्यासियों के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाएगी । न्यासियों के पक्ष में निष्पादित न्यास विलेख, प्राधिकरण के अनुमोदन से किए गये किसी भी संशोधन सहित, को अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन मध्यवर्तियों के रूप में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदत्त रजिस्ट्रेशन के रूप में समझा जाएगा ।

(V) विनियम 4 के उप-विनियम (2) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

(क) न्यासी बोर्ड के कब्जे की महत्वपूर्ण सूचना को गोपनीय बनाए रखने के सम्बंध में बोर्ड का दायित्व;

(VI) विनियम 4 के उप-विनियम (2) (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण से सम्बंधित गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लागू विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की बाबत न्यासी बोर्ड का दायित्व;

(VII) विनियम 4 के उप-विनियम (2) (झ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

न्यासी बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को, अधिनियम, नियमों और विनियमों के ऐसे उल्लंघन के लिए जो उसकी जानकारी में आते हैं, पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों, और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण से सम्बंधित गतिविधियों के लिए, के विरुद्ध उपयुक्त उपाय करने की सिफारिश करना;

(VIII) विनियम 4 के उप-विनियम (2) (ञ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों या परिपत्रों के उपबंधों के अनुसार पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों के सभी कार्यचालन सम्बंधी और सेवा स्तरीय या निवेश प्रबंधन क्रियाकलापों को और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण के सम्बंधी क्रियाकलापों को मानिटर करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(IX) विनियम 4 के उप-विनियम (2) (ट) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी पर अभिदाताओं द्वारा किए गए दावों को प्राप्त करने, उनका प्रक्रमण और निपटारा करने के लिए उत्तरदायी होगा । राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन पर से, प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य मध्यवर्ती को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी पर अभिदाताओं द्वारा किए गए ऐसे दावों को प्राप्त करने, उनका प्रक्रमण और निपटारा करने के कार्यकलाप प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(X) विनियम 4 के उप-विनियम (2) (ठ) को समाप्त कर दिया जाएगा ।

(XI) विनियम 4 के उप-विनियम (2) (न) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा —

(न) प्राधिकरण से अनुमोदन के पश्चात् अभिदाता को प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए शुल्क या प्रभार वसूलने का प्रावधान;

(XII) विनियम 4 के उप-विनियम (2) (प) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा —

(प) न्यास द्वारा न्यास के निष्पादन के लिए संपत्ति या संपत्ति की उगाही, संरक्षण, या लाभ, या अभिदाताओं की सुरक्षा या सहायता के लिए न्यास द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान, जिससे कि प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में राशि की अधिशेषता उत्पन्न न हो ।

(XIII) विनियम 5 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

प्राधिकरण इन विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बोर्ड के लिए न्यासियों की नियुक्ति करेगा। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ऐसे न्यासियों के गठन, चयन और नियुक्ति के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यासी बोर्ड की संरचना उचित रूप से विभिन्न वर्गों के अभिदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती है ।

(XIV) विनियम 7 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक न्यासी की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी, जो यदि प्राधिकरण उचित समझे, दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी :

किंतु कोई भी व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् न्यासी के पद पर कार्य नहीं कर सकेगा।

(XV) विनियम 9 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की स्थापना अभिदाताओं के हित में उनकी निधियों को धारण करने के लिए की गई है और उक्त प्रयोजनों के लिए, इसके क्रियाकलापों में पेंशन निधियों, न्यासी बैंकों, अभिरक्षकों के सभी कार्यचालन सम्बंधी और सेवा स्तरीय या निवेश प्रबंधन क्रियाकलापों और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और प्राधिकरण द्वारा विनियमित और/या प्रशासित अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण और उसका मूल्यांकन करना शामिल है । इस प्रकार का निरीक्षण और मूल्यांकन एनपीएस न्यास द्वारा मुख्य रूप से रिपोर्ट और मध्यस्थ इकाईयों के कार्यों के सम्बंध में तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा एकत्रित बाज़ार सूचना और ज्ञान पर आधारित है ऐसी अन्य सूचना की प्राप्ति और विश्लेषण प्रणाली के माध्यम से की जाएगी । प्राधिकरण, समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करके यह निदेश दे सकेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अन्य पेंशन स्कीम के सम्बंध में ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे, जो अभिदाताओं के हित में आवश्यक समझे जाएं ।

(XVI) विनियम 11 के उप-विनियम (xi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

अभिदाताओं की आस्तियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों के कार्यचालन सम्बंधी और सेवा स्तरीय या निवेश प्रबंधन क्रियाकलापों का और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बंध में, निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण तथा उसका मूल्यांकन और मध्यस्थों से कोई सूचना या रिपोर्ट मांगना और अपने अवलोकनों को उसमें देखी गई भिन्नता के साथ प्राधिकरण को विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(XVII) विनियम 11 के उप-विनियम (xii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

प्रत्येक पेंशन निधि की स्कीम संपरीक्षा के लिए संपरीक्षकों का पैनल नियुक्त करना । न्यासी बोर्ड, पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण क्रियाकलापों के लिए नियुक्त किए गए संपरीक्षकों से नियमित अंतराल पर आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट भी अभिप्राप्त करेगा । न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक की रिपोर्टों और आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्टों या अनुपालन रिपोर्टों पर समुचित कार्रवाई के लिए न्यासी बोर्ड की बैठकों में विचार किया जाएगा ;

(XVIII) विनियम 11 के उप-विनियम (xiii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

प्राधिकरण द्वारा सेवा स्तरीय या निवेश प्रबंधन क्रियाकलापों के सम्बंध में विनिर्दिष्ट रूप विधानों या अवधियों के भीतर पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों से और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों से निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए नियमित अंतरालों पर अनुपालन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना और प्राधिकरण को विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(XIX) विनियम 12 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

न्यासी बोर्ड की बाध्यताएं, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां- न्यासी बोर्ड, यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है तो, पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों के सेवा स्तरीय या निवेश प्रबंधन क्रियाकलापों के लिए और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अधिनियम के अधीन विनियमित किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन निकास और प्रत्याहरण संबंधी क्रियाकलापों को मानिटर करने और मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होगा । राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के कर्तव्य की परिधि में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता को बाहर आने सम्बंधी कार्यकलाप, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 और उसमें संशोधनों के अनुसार अभिदाताओं की शिकायतों को दूर करना सम्मिलित है और विशिष्टतया न्यासी बोर्ड की निम्नलिखित बाध्यताएं, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां और दायित्व होंगे, अर्थात् :—

(XX) विनियम 12 के उप-विनियम (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

वह प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे संपरीक्षित स्कीम वित्तों, आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्टों, अनुपालन रिपोर्टों और किसी अन्य रिपोर्टों की जांच का अनुमोदन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के संबंध में, निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तुत की जाएंगी । ऐसी अनुमोदित स्कीम और रिपोर्टें, उनके द्वारा किए गए विशेषणों और सिफारिशों, यदि कोई हों, के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएंगी :

किंतु सिफारिशें किसी भी रीति से प्राधिकरण पर बाध्यकर नहीं होंगी ;

(XXI) विनियम 12 के उप-विनियम (ठ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों के साथ सभी परिचालन करार और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के साथ निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए करार निष्पादित करना ;

(XXII) विनियम 12 के उप-विनियम (ड) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

यह सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधियों का प्रबंधन अधिनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015, न्यास विलेख और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निदेशों, परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाए, पूरी सतर्कता बरतने का कर्तव्य ;

(XXIII) विनियम 12 के उप-विनियम (ण) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

यह पेंशन निधियों और न्यासी बैंक, अभिरक्षक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बंध में, निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए कमियों के बारे में लिखित रूप में संसूचित करेगा और ऐसी कमियों को सुधारने के लिए जांच पडताल भी करेगा ;

(XXIV) विनियम 12 के उप-विनियम (त) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन निधियां, न्यासी बैंक, अभिरक्षक, और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के संबंध में, निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए, अपने कार्यकलाप प्रवृत्त विनियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों, अधिसूचनाओं या परिपत्रों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और ऐसे मध्यवर्तियों के बीच निष्पादित कार्य संबंधी करारों, सेवा स्तरीय या निवेश प्रबंधन करारों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार संचालित करे ;

(XXV) विनियम 12 के उप-विनियम (थ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

जहाँ तक यह विश्वास करने का कारण है कि पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के संबंध में, निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए कार्यसंचालन खंड (त) के अनुसार नहीं हो रहा है, वहाँ वह तुरंत ऐसे उपचारी उपाय करेगा, जो आवश्यक हों और तुरन्त प्राधिकरण को व्यतिक्रम और उसके पश्चात् की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा ;

(XXVI) विनियम 12 के उप-विनियम (यक) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन पेंशन निधियां और न्यासी बैंक, बैंक खाते और अन्य लेखा-पुस्तकों का अलग- अलग अनुरक्षण करे और अभिरक्षक, तथा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के संबंध में, निकास और प्रत्याहरण गतिविधियों के लिए अलग लेखा पुस्तक अनुरक्षित करे ;

(XXVII) विनियम 12 के उप-विनियम (यग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

यह ये सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, अपने कर्तव्यों के कार्यान्वयन में और निकास तथा प्रत्याहरण सम्बंधी कार्यों में अभिदाताओं के अधिकारों और हितों को संरक्षित करने में सम्यक् तत्परता का प्रयोग करे तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के बीच करार के निबंधन और शर्तों का पालन करें:

(XXVIII) विनियम 12 के उप-विनियम (यघ) को समाप्त कर दिया जाएगा |

(XXIX) विनियम 13 के उप-विनियम 2 (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

न्यासियों और पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बन्ध में निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए नियुक्त संपरीक्षकों से नियमित अंतरालों में आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्टें प्राप्त करना;

(XXX) विनियम 13 के उप-विनियम 2 (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों से सेवा स्तरीय या निवेश प्रबंधन कार्यकलापों सम्बंधी और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों से निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए नियमित अंतरालों में सेवा अनुपालन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना ;

(XXXI) विनियम 13 के उप-विनियम 2 (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

न्यासियों की बैठकों पर समुचित कार्रवाई के लिए संपरीक्षक रिपोर्टों और पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों के सम्बंध में, निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों की अनुपालन रिपोर्टों पर विचार करना;

(XXXII) विनियम 13 के उप-विनियम 2 (ड) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

न्यासियों की बैठकों में उनके विनिश्चय का और बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख रखना और ऐसे अनुमोदित निर्णयों के विषय में जानकारी प्राधिकरण के संज्ञान के लिए उसके साथ साझा की जाएगी। प्राधिकरण न्यासी बोर्ड के सदस्यों को न्यास के किसी विशेष निर्णय पर पुन: जांच करने का निदेश देगी, यदि प्राधिकरण का वह निर्णय अभिदाताओं के हित में न हो ;

(XXXIII) विनियम 14 के उप-विनियम 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

न्यासी बोर्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की संपत्तियों के प्रबंधन के दौरान या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के उद्देश्यों और प्रयोजन तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की सम्पत्तियों से सम्बंधित सभी आस्तियों और दायित्वों को कार्यान्वित करने में सभी आस्तियों तथा संपत्तियों और प्राप्त और खर्च की गई सभी धनराशियों का और उसकी बाबत सभी विषयों का सही और ठीक लेखा देगा ।

(XXXIV) विनियम 14 के उप-विनियम 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

न्यासी बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के क्रियाकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में संपरीक्षित लेखाओं की प्रति के साथ उसकी एक प्रति, उक्त कलेण्डर वर्ष की 31 जुलाई के अपश्चात् प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसे बाद में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा किए गये अनुरोध की जांच के आधार पर प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है ।

(XXXV) विनियम 36 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

मानिटरी, पुर्नविलोकन और मूल्यांकन प्रणालियां और नियंत्रण – राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, —

(XXXVI) विनियम 36 के उप-विनियम (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा—

(क) के पास अपने और जिन मध्यवर्तियों के साथ कार्यरत है, के नियंत्रणों, प्रणालियों और रक्षापायों का पुनर्विलोकन करने, मानीटरी करने और मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त प्रकियाएं होंगी;

श्री, सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष
[वि.-III/4/असा. /101/2021-22]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में भाग III, खंड 4 में 12 मार्च 2015 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/5 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र में भाग III, खंड 4 में 29 जुलाई 2019 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/5 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र में भाग III, खंड 4 में 29 जुलाई 2020 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/5 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. PFRDA/12/RGL/139/5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (v) and clause (w) of sub-section (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, namely: —

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2021.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015: —

(I) Sub-regulation (1)(b) of regulation 2 shall be substituted as below –

"auditor" means a person who is qualified to audit the accounts of a company under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or Section 139 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(II) Sub-regulation (1)(c) of regulation 2 shall be substituted as below –

"company" means a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(III) New sub-regulation (1)(i) shall be added under regulation 2 as below—

(i) "Assets of the National Pension System Trust" means the assets of the subscribers held in the name of the National Pension System Trust, the subscribers' funds in the account of National Pension System Trust with Trustee Bank and such other assets both moveable and immovable as are recorded in the books of accounts of such Trust;

The assets shall comprise cash, securities and any other instruments as specified in the investment guidelines issued by the Authority and held in the name of the National Pension System Trust on behalf of the subscribers.

(IV) Regulation 3 shall be substituted as below—

Establishment of National Pension System Trust.- (1)There shall be established a trust to be known as the National Pension System Trust and the instrument of trust shall be in the form of a Trust Deed duly registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), executed by the Authority in favour of the trustees named in such an instrument. The trust deed executed in favour of the trustees, including any amendments thereof made with the approval of the Authority, shall be deemed as the registration granted to the National Pension System Trust, as an intermediary, under the provisions of the Act and these regulations.

(V) Sub-regulation (2)(a) of regulation 4 shall be substituted as below—

the Board of Trustees' responsibility with regard to maintenance of confidentiality of information in its possession;

(VI) Sub-regulation (2)(b) of regulation 4 shall be substituted as below—

the responsibilities of the Board of Trustees with regard to taking of action on reports submitted by the pension funds, trustee bank, custodians and in respect of central recordkeeping agencies, for activities pertaining to exits and withdrawals under national pension system in order to ensure compliance with the regulations applicable to them under the National Pension System;

(VII) Sub-regulation (2)(i) of regulation 4 shall be substituted as below—

the Board of Trustees to recommend to the Authority for taking suitable measures against pension funds, trustee bank, custodians and in respect of central recordkeeping agencies with respect to exits and withdrawals under national pension system for violation of the Act, rules and regulations, which comes to its notice;

(VIII) Sub-regulation (2)(j) of regulation 4 shall be substituted as below—

the National Pension System Trust shall be responsible for monitoring and evaluation of all operational and service level or investment management activities of pension funds, trustee bank, custodians and in respect of central recordkeeping agencies with respect to exits and withdrawals under national pension system, in accordance with the provisions of the Act or the regulations made or guidelines or circulars issued by the Authority;

(IX) Sub-regulation (2)(k) of regulation 4 shall be substituted as below—

the National Pension System Trust shall be responsible for receiving, processing and settlement of claims made by the subscribers upon exit from National Pension System. The National Pension System Trust may delegate the activities of receiving, processing and settlement of such claims made by the subscribers upon exit from National Pension System to any other intermediary registered with the Authority, with the previous approval of the Authority;

(X) Sub-regulation (2)(l) of regulation 4 shall be deleted.

(XI) New sub-regulation (2)(t) of Regulation 4 shall be added as below—

(t) provision regarding collection of fee or charges from subscribers for any services rendered to subscriber, after approval of the Authority

(XII) New sub-regulation (2)(u) of Regulation 4 shall be added as below—

(u) provision regarding reimbursement of expenses incurred by the Trust out of the property of the Trust for the execution of the trust, or the realization, preservation, or benefit of the trust property, or the protection or support of the subscribers, such that no surplus shall be created in the process of reimbursement.

(XIII) Sub-regulation (1) of regulation 5 shall be substituted as below—

The Authority shall appoint trustees to the Board of National Pension System Trust in accordance with these regulations. The Authority may issue guidelines on composition, selection and appointment such trustees from time to time in order to ensure that the composition of Board of Trustees adequately represents the interests of various sections of subscribers.

(XIV) Sub regulation (1) of Regulation 7 shall be substituted as below—

Every trustee shall be appointed by the Authority for a term of three years which may, if the Authority deems fit, be extended not more than two years:

Provided that no person shall hold the office as a Trustee after he attained age of seventy years.

(XV) Sub regulation (1) of Regulation 9 shall be substituted as below—

The National Pension System Trust is established to hold the assets of subscribers for their benefit and for the said purposes, its activities shall include monitoring and evaluation of all operational and Service level or investment management activities pertaining to pension funds, trustee bank, custodians and in respect of central recordkeeping agencies, for activities pertaining to exits and withdrawals under the National Pension System and pension schemes regulated and/or administered by the Authority. Such monitoring and evaluation shall primarily be undertaken by the NPS Trust through the mechanism of receiving and analysing reports and such other information as may be furnished to it in relation to the functions of such intermediaries and based on market information and intelligence gathered by the National Pension System Trust. The Authority may by issuance of appropriate guidelines direct that the National Pension System Trust shall have such other powers and duties in relation to any other pension scheme, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act, as may, in the interest of subscribers, be deemed necessary.

(XVI) Sub regulation (xi) of Regulation 11 shall be substituted as below—

monitor and evaluate the operational and service level or investment management activities of pension funds, trustee bank, custodians, and central recordkeeping agencies for activities pertaining to exits and withdrawals, in order to safeguard the assets of subscribers and call for any information or reports from the intermediaries and provide the Authority with exception reports for the deviations observed along with their observations;

(XVII) Sub regulation (xii) of Regulation 11 shall be substituted as below—

Appoint a panel of auditors to undertake scheme audits of each pension fund. The Board of Trustees shall also obtain internal audit reports at regular intervals from the auditors appointed by the pension funds, trustee bank, custodians, and in respect of central recordkeeping agencies for activities pertaining to exits and withdrawals under National Pension System. The reports of the auditor appointed by the Board of Trustee and internal audit reports or compliance reports shall be considered at the meetings of the Board of Trustees for appropriate action;

(XVIII) Sub regulation (xiii) of Regulation 11 shall be substituted as below—

Obtain compliance certificates related to service level or investment management activities at regular intervals from the pension funds, trustee Bank, custodians, and central recordkeeping agencies for activities pertaining to exits and withdrawals in the formats and within the period or periods specified by the Authority and submit exception report to the Authority;

(XIX) Regulation (12) shall be substituted as below—

Obligations, duties, responsibilities and liabilities of Board of Trustees- The Board of Trustees shall be responsible for the monitoring and evaluation of the operational and service level or investment management activities of pension funds, trustee bank, custodians, and in respect of central recordkeeping agencies for activities pertaining to exits and withdrawals under National Pension System or any other pension scheme regulated under the Act, if it is so directed by the Authority. The scope of the National Pension System Trust role shall include activities relating to exit of the subscriber from the National Pension System, redressal of subscriber grievances in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 and amendments thereto and other responsibilities, in particular, the following shall be obligations, duties, responsibilities and liabilities of the Board of Trustees, namely:—

(XX) Sub regulation (b) of Regulation 12 shall be substituted as below—

it shall be responsible for approving audited scheme financials, examination of internal audit reports, compliance reports and any other reports, as specified by the Authority, which are to be submitted by the pension funds, trustee bank, custodians, and central recordkeeping agencies for activities pertaining to exits and withdrawals to the National Pension System Trust. Such approved scheme reports and other reports shall be presented to the Authority with qualifications and recommendations, if any, made by it:

Provided that the recommendations shall not be binding on the Authority in any manner;

(XXI) Sub regulation (l) of Regulation 12 shall be substituted as below—

it shall execute all operational agreements with pension funds, trustee bank, custodians, and central recordkeeping agencies with respect to exits and withdrawals under the National Pension System;

(XXII). Sub regulation (m) of Regulation 12 shall be substituted as below—

it shall be its duty to take all care to ensure that the pension funds managed in accordance with the pension funds are managed in accordance with the provisions of the Act, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015, Trust Deed and these regulations, or any guidelines, directions, circulars or notifications issued by the Authority;

(XXIII) Sub regulation (o) of Regulation 12 shall be substituted as below—

it shall communicate in writing to the pension funds, trustee bank, custodians, and central recordkeeping agencies for activities pertaining to exits and withdrawals, of the deficiencies and also keep checks on the rectification of such deficiencies;

(XXIV) Sub regulation (p) of Regulation 12 shall be substituted as below—

it shall ensure that the pension funds, trustee bank, custodians, and central recordkeeping agencies with regard to activities pertaining to exits and withdrawals are conducting their activities in accordance with the applicable regulations in force and any guidelines, notifications or circulars issued by the Authority and the operational and service level agreements or the Investment management agreement, as the case may be, executed between the National Pension System Trust and such intermediaries;

(XXV) Sub regulation (q) of Regulation 12 shall be substituted as below—

where it has reason to believe that the conduct of business of the pension funds, trustee bank, custodians, and in respect of central recordkeeping agencies for activities pertaining to exits and withdrawals is not in accordance with clause (p), it shall forthwith take such remedial steps as are necessary and shall immediately inform the Authority of the violation and the action taken thereafter;

(XXVI) Sub regulation (za) of Regulation 12 shall be substituted as below—

it shall ensure that pension funds and trustee bank maintain segregated bank account and other books of accounts, and custodians, and central recordkeeping agencies for activities with regard to exist and withdrawal maintain other books of accounts pertaining to activities under National Pension System;

(XXVII) Sub regulation (zc) of Regulation 12 shall be substituted as below—

it shall ensure that the central recordkeeping agencies exercise all due diligence and vigilance in carrying out its duties and in protecting the rights and interests of the subscribers related to exits and withdrawals function and comply with the terms and conditions of the agreement between National Pension System Trust and the central recordkeeping agencies;

(XXVIII) Sub regulation (zd) of Regulation 12 shall be deleted.

(XXIX) Sub regulation (2)(a) of Regulation 13 shall be substituted as below—

obtain internal audit reports at regular intervals from auditors appointed by appointed by the trustees and the pension funds, trustee bank, custodians, and central recordkeeping agencies for activities with regard to exist and withdrawals;

(XXX) Sub regulation (2)(b) of Regulation 13 shall be substituted as below—

obtain compliance certificates related to service level or investment management activities at regular intervals from the pension funds, trustee bank, custodians, and central recordkeeping agencies for activities with regard to exist and withdrawals;

(XXXI) Sub regulation (2)(d) of Regulation 13 shall be substituted as below—

Consider the reports of the auditor and compliance reports of the pension funds, trustee bank, custodians, and central recordkeeping agencies for activities with regard to exist and withdrawals, at the meetings of trustees for appropriate action;

(XXXII) Sub regulation (2)(e) of Regulation 13 shall be substituted as below—

maintain records of the decisions of the trustees at their meetings and of the minutes of the meetings and information on such approved decisions shall be shared with the Authority for its information. The Authority may direct the Board of Trustees to re-examine any particular decision of the Trust, if in the opinion of the Authority, the decision is not in the interest of the subscribers;

(XXXIII) Sub regulation (2) of Regulation 14 shall be substituted as below—

The Board of Trustees shall give true and accurate accounts of all assets and properties and money received and spent and all matters in respect thereof in the course of management of the National Pension System Trust's properties or in relation with carrying out the objective and purpose of the National Pension System Trust as well as all the assets and liabilities related to the National Pension System Trust's properties.

(XXXIV) Sub regulation (3) of Regulation 14 shall be substituted as below—

The Board of Trustees shall, prepare once every year, an annual report of the activities of the National Pension System Trust. A copy of the same along with the copy of the audited accounts at the end of the financial year shall be

furnished to the Authority, not later than July, 31st of the said calendar year which can be extended by the Authority based on the examination of the request made by the National Pension System Trust.

(XXXV) Regulation 36 shall be substituted as below—

Monitoring, review and evaluating systems and controls.-The National Pension System Trust,—

(XXXVI) Sub regulation (a) of Regulation 36 shall be substituted as below—

shall have adequate processes for reviewing, monitoring and evaluating its controls, systems, procedures and safeguards and that of the intermediaries it is dealing with;

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./101/2021-22]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on March 12, 2015 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/5.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (First Amendment) Regulations, 2019 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on July 29, 2019 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/5.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2020 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on July 29, 2020 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/5.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.14 22:25:44 +05'30'